

अध्यास सं० 198 / फ०के०सि०वि०  
दिनांक 12.5.2020

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1  
संख्या- 880 / 27-1-2020-67 / 2019  
लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2020

विज्ञापित / प्रोन्नति

रिट याचिका सं०-19363/2019 श्री राजीव कुमार सिंह बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2019, रिट याचिका सं०-33424/2019 श्री राजीव कुमार सिंह बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 05.12.2019 एवं 10.12.2019 एवं अवमानना याचिका सं०-2487(सी)/2019 श्री राजीव कुमार सिंह बनाम् श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव में पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 एवं दिनांक 24.02.2020 के समादर में, याची श्री राजीव कुमार सिंह को उनके कनिष्ठ श्री विनोद कुमार की मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-1 के पद पर पदोन्नति की तिथि 08.03.2019 से पदोन्नति पर विचारण हेतु दिनांक 11.03.2020 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2018-19 में मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-1 (वेतनमान रू० 37,400-67,000, ग्रेड पे रू० 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) में श्री राजीव कुमार सिंह के कनिष्ठ श्री विनोद कुमार की पदोन्नति की तिथि 08.03.2019 से मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-1 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु उपयुक्त पाया गया है।

- 2- उक्त के क्रम में श्री राजीव कुमार सिंह मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-2 को उनके कनिष्ठ श्री विनोद कुमार के पदोन्नति की तिथि 08.03.2019 के सापेक्ष सम्प्रति पद की अनुपलब्धता के कारण मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-1 (वेतनमान रू० 37,400-67,000, ग्रेड पे रू० 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से वास्तविक पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु अधिसंख्य पद का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
- 3- श्री राजीव कुमार सिंह की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।
- 4- उक्त आदेश मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रचलित विशेष अनुज्ञा याचिका सं०-006269/2020 में पारित अन्तिम आदेशों के अधीन होगा।

टी० वेंकटेश  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 880 (1)/27-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
- 10- गार्ड फाइल।

3 B (ce) / 880 (1) / 2020

आज्ञा से,  
3  
(ओ०पी० सिंह)  
उप सचिव

मुख्य अभियन्ता  
(सूचना प्रणाली संगठन)  
15/03/2020

ck  
17/3/2020

Smt. A. K. Singh

5


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उत्तर प्रदेश

संख्या: सीजी-03/ई-1,

लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2020

शासनादेश संख्या: 880/27-1-2020-67/2019, दिनांक-17.03.2020 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0)/(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जॉच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
10. महासचिव, उ0प्र0 अभियन्ता संघ, 96-महात्मा गांधी मार्ग, (कार्यालय लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0), लखनऊ।

  
17/03/2020  
(डी0 के0 मिश्रा)

प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक-1/3)